आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के शासनादेश संख्या–F.No-11-306/2014-FC Date-28.08.2015 वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 ,उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–941/X-4-18/1-05(04)/2014 Date-26.09.2018 एवं भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के पैरा–11.2 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक को सैद्वान्तिक स्वीकृति मिलने के उपरान्त कार्यादेश के लिये केवल 01 वर्ष के लिये अधिकृत किया गया है। जिसके क्रम मे प्रधानमंत्री ग्रामीण संडक योजना के अन्तर्गत कोटगाव (नैटवाड़ से कलाप) मोटर मार्ग (11.115 है०) की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्रं सं०–F.No-08 B/U.C.P/06/174/2020/F.C./2318 Date-18.02.2021 के द्वारा प्राप्त हो गई थी जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–302/12–1 दिनांक–18.08.2021 से प्रयोक्ता विभाग को कार्यादेश/वृक्षो के पातन की अनुमति जारी की गयीं। प्रश्नगत कार्य का 1 वर्ष का समयावधि दिनांक–18.08.2022 को पूर्ण होने तक प्रश्नगत कार्य में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नही हुयी है। उपरोक्त सभी शासनादेश के अनुपालन मे प्रधानमंत्री ग्रामीण संडक योजना के अन्तर्गत कोटगाव (नैटवाड़ से कलाप) मोटर मार्ग (11.115 है०) (प्रस्ताव क्रमांक–FP/UK/ROAD/47302/2020) कार्य को विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने तक, किसी भी प्रकार का कार्य किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980,(यथा संशोधित, 2022) एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, (यथा संशोधित 2006) का उल्लघन माना जायेगा तथा नियमानुसार कार्यावाही अमल में लायी जायेगी।

(डी०पी०बलोनी)
उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा० पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

दूरभाष–01373-223433
Email-gwlspurola@gmail.com

कार्यालय–उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पत्रांक 456/12-1 पुरोला दिनांक 18/8/2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी ,उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2. निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखण्ड, देहरादून सूचनार्थ प्रेषित।

3. मुख्य वन संरक्षक आई०टी०जी०सी० एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

4. अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०,मोरी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित की विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व यदि किसी प्रकार का कार्य किया जाये तो सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा तथा उक्त के अतिरिक्त कोई कार्यादेश उपलब्ध हो तो अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5. वन क्षेत्राधिकारी, सुपिन रेंज,नैटवाड़ को इस निर्देश से प्रेषित की उक्त आदेश का अनुपालन करते हुये तत्काल कार्य को स्थगित कराते हुये कृत कार्यवाही/आंख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

6. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

(डी०पी० बलोनी)
उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा० पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

I.T.G.C
26/8